

01/10/22

2362
Dir (MP)
11-10-22

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- - /XXVIII-2/2019-01(12)2022
देहरादून: दिनांक 7 सितम्बर, 2022
3-12-01

अधिसूचना

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा-12(2) एवं सारोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा-35(2) में प्रदत्त अधिकारिता के अन्तर्गत उक्त अधिनियमों के सुसंगत प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम की धारा 12(3) एवं धारा-35(3) प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार राज्य में समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) निम्नवत गठन किया जाता है :-

- (1) संयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग :अध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन अथवा इनसे अन्यून स्तर का अधिकारी (पदेन)
- (2) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, :उपाध्यक्ष
उत्तराखण्ड अथवा इनसे अन्यून स्तर का अधिकारी (पदेन)
- (3) उप सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा इनसे अन्यून :सदस्य
स्तर का अधिकारी।
- (4) डा0 अनुपमा रवि फुटेला, (MBBS MD (OBG)), फुटेला अस्पताल, :सदस्य
उधमसिंह नगर, प्रख्यात, विशिष्ट पंजीकृत चिकित्सा सेवा प्रदाता।

2-पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल, इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष का होगा।

3-उक्त अधिनियम की धारा-35(3)(iii) में प्राविधानित महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रख्यात महिला को नामित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना पृथक से निर्गत की जायेगी।

(डा0 आर. राजेश कुमार)
सचिव(प्रभारी)

500(2)
संख्या- /XXVIII-1/2022-(12)2022 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
5. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी/जिला अधिकारी।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, चिकि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
10. समस्त नामित सदस्यगण।